

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अर्द्धकुम्भ मेला-2019 हेतु जनपद इलाहाबाद में 132 के0वी0 अण्डर ग्राउण्ड विद्युत लाइन केबिल बिछाने हेतु 132के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तेलियर गंज से 132के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मिण्टो पार्क तक प्रस्तावित इलाहाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रफल 0.298 हे0 संरक्षित वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।


अधिशायी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड द्वितीय,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
इलाहाबाद।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
इलाहाबाद


क्षेत्रीय वन अधिशायी
प्रभाग रेन्ज, इलाहाबाद

अधिशायी अभियन्ता
विद्युत-प्रेषण खण्ड द्वितीय
उ० प्र० पावर ट्रान्मिशन कारपोरेशन लि०
इलाहाबाद